

(2)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक-02.05.2019 को जारी परिपत्र नं०-F.No./Misc.policy/Disability/DHS/NHC/1039-45 (प्रति संगलन) के तरह बिहार में भी स्थित विभिन्न अस्पतालों/संस्थानों को मेडिकल अथॉरिटी दिव्यांग के प्रमाणीकरण हेतु दिव्यांगता वार (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता (Specified Disabilities) Ref: Clause (zc) of Section-2 में उल्लेखित 21 प्रकार दिव्यांगता वार नोडल सेंटर बनाने की आवश्यकता है।

कृपया इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक आदेश निर्गत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करने की कृपा की जाए। साथ ही इस तरह के निर्गत आदेश के विस्तृत प्रचार प्रसार की व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से कराया जाए ताकि, दिव्यांगजनों को भी इस नयी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हो सकें।
अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

sl.m
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

आपाक- २१०२१०-०५ / २१०३१०नि० / बैठक(विभाग)-१३ / २०१८ 588/आ.नि.को
प्रतिलिपि:- सभी सिविल सर्जन (असैनिक शल्य चिकित्सक), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक- 17 मई 19
sl.m
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

आपाक- २१०२१०-०५ / २१०३१०नि० / बैठक(विभाग)-१३ / २०१८ 588/आ.नि.को
प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक- 17 मई 19
sl.m
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

आपाक- २१०२१०-०५ / २१०३१०नि० / बैठक(विभाग)-१३ / २०१८ 588/आ.नि.को
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना को आप्त सचिव को सूचनार्थ।

दिनांक- 17 मई 19
sl.m
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

आपाक- २१०२१०-०५ / २१०३१०नि० / बैठक(विभाग)-१३ / २०१८ 588/आ.नि.को
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, के प्रधान आप्त सचिव बिहार पटना को सूचनार्थ।

दिनांक- 17 मई 19
sl.m
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

आपाक- २१०२१०-०५ / २१०३१०नि० / बैठक(विभाग)-१३ / २०१८ 588/आ.नि.को
प्रतिलिपि:- उप मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दत्त राड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक- 17 मई 19
sl.m
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।